23/01/24 प्रार्थनापत्र अधिवक्ता वादी के निवेदन पर प्रार्थनापत्र विवाह से तलाक होकर पक्ष हैं। अधिवक्ता वादी एवं वादी स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना पत्र के निवेदन किया कि वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, वाद का निस्तारण करना चाहते हैं।

प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया। मनन किया। अधिवक्ता वादी एवं वादी स्वयं वाद पत्र में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता वादी का निवेदन स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, R&A 1955 के विरुद्ध में खारिज किया जाता है। प्रार्थनापत्र की गणना तिथि [illegible] वाद अग्रग्रहण कार्यवाही [illegible] निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।

लेखाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Singh
Date: 2024.02.12 16:33:00 IST
Reason: SelfAttested

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible]